कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि0)
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
गाज़ियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद

कारपोरेशन आदेश संख्या 2211–बी
राविप–16–1994, दिनांक 15.09.1994

पत्रांक– /मु0अ0गा0क्षे0गाजि0/भार स्वीकृति दिनांकः

कार्यालय ज्ञाप

निम्नलिखित इकाई/पार्टी के पक्ष में अधोलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन एतदद्वारा घरेलू/वाणिज्यक विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है:–

क्र0 सं0	इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	श्रेणी	प्रयोजन	स्थल
1	2	3	4	5	6
1.	मै0 आदिनाथ प्रोबिल्ड (इण्डिया) प्रा0लि0, एंजिल जूपिटर, खसरा नं0–520/1, अहिंसा खण्ड–द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद	2334 किलोवाट	एलएमवी–1	आवासीय	खसरा नं0–520/1, अहिंसा खण्ड–द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद

नोट :– (1) उपभोक्ता को उपरोक्त आवेदित विद्युत भार 33/11 केवी उपसंस्थान अहिंसा खण्ड, इण्दिरापुरम, गाजियाबाद क्षमता 10+10 एमवीए है से एक नया 11 केवी पोषक बनाकर निर्गत किया जायेगा। जिसका समस्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा।
(2) विद्युत आपूर्ति संहित 2005 के तीसरे संशोधन के पैरा 4.6 (ई) में निहित प्राविधानों के तहत उपभोक्ता से स्वीकृत प्राक्कलन का 15 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज जमा कराकर लाईन निर्माण आदि का कार्य उपभोक्ता द्वारा स्वयं कराया जायेगा।

उपरोक्त उपभोक्ता को उक्त स्वीकृत विद्युत भार एकल बिन्दु पर निम्नलिखित चार (4) चरणों में अवमुक्त किया जायेगा:–

चरण	भार	अवमुक्ति वर्ष
प्रथम चरण	500 किलोवाट	दिसम्बर 2015
द्वितीय चरण	500 किलोवाट	दिसम्बर 2017
तृतीय चरण	500 किलोवाट	दिसम्बर 2019
चतुर्थ चरण	834 किलोवाट	दिसम्बर 2021

<u>उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन भी होगा, जिनका पालन उपभोक्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त स्वीकृति स्वंय निरस्त मानी जायेगी:–</u>

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवमुक्त करना निम्न शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन है :–

1. 11 केवी पिल्फर प्रूफ मीटरिंग उपभोक्ता के परिसर में एवं परिसर के बाहर सुनिश्चित की जायेगी।
2. इकाई के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट स्वतन्त्र प्रवेश द्वार का मीटरिंग रूम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के मापदण्डों के अनुरूप उपभोक्ता को अपने व्यय पर बनाना होगा तथा मीटरिंग कक्ष तक प्रवेश का मार्ग स्वतन्त्र होगा एवं मीटरिंग कक्ष में कारपोरेशन का ताला होगा ।
3. प्रभावित 400/220/132 केवी उप–संस्थानों पर स्थापित ट्रान्सफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी ।
4. विद्युत सप्लाई कोड 2005 के तीसरे संशोधन के प्रस्तर 4.8 (सी0) में निहित प्राविधानों के तहत उपर लिखित विद्युत भार को अवमुक्त करने हेतु उपभोक्ता को नियम व शर्ते दिये जाने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्राकंलन की वांछित धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा की स्थिति में यह भार स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5. यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह भी आदेश निरस्त माने जायेगें।
6. उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में निगम की किसी भी ट्रंक लाईन को टेप करके, अवमुक्त नही किया जायेगा।
7. किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर पालिका/नगर महापालिका/टाउन ऐरिया की सीमा से बाहर बढाकर विद्युत भार अवमुक्त नही किया जायेगा ।
8. यदि इकाई के परिसर में अथवा उपभोक्ता के नाम पहले से कोई संयोजन रहा हो तो उक्त भार तब तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा तब तक की पुराने संयोजन अथवा उपभोक्ता के विरूद्ध बकाया धनराशि, यदि कोई हो का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

क्रमशः –2

9. यदि उक्त इकाई / उपभोक्ता द्वारा निगम की नीति संबन्धी विषयों (उदाहरणार्थ) टैरिफ या उससे संबन्धि जैसे फ्यूल सरचार्ज, लो पावर फेक्टर सरचार्ज, टैरिफ की दर विरल / अविरल विद्या आदि के विषय में विवाद किसी भी न्यायालय में उठाया गया है, और वह लम्बित है तो उस दशा में विवाद समाप्त होने के प ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा ।

10. समय–समय पर निगम एवं डिस्ट्रीब्यूशन कोड 2005 द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा ।

11. उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन नियमों के अन्तर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार रोस्टरिंग आपातकालीन रोस्टरिंग की जा सकती है ।

13. विद्युत आपूर्ति रेट शिड्यूल / सप्लाई कोड में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी ।

13. उपभोक्ता द्वारा विद्या / उत्पादन बदलने पर यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

14. भार अवमुक्त करते समय डबल मीटरिंग करना सुनिश्चित किया जाये।

15. सम्बन्धित खण्ड का यह दायित्व होगा कि वह उपयुक्त श्रेणी में बिलिंग करेगा।

16. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को उपभोक्ता से सम्पूर्ण चरणों के विद्युत भार का सिस्टम लोडिंग चार्ज एक मुश्त तथा जमानत राशि भार अवमुक्ति के अनुसार जमा करानी होगी।

पी0 के0 माहेश्वरी
मुख्य अभियन्ता (वि0)

पत्रांक– सी–155 / मु0अ0गा0क्षे0गाजि0 / तद्दिनांक 17.07.2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–द्वितीय, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–अष्टम, गाजियाबाद।
3. मै0 आदिनाथ प्रोबिल्ड (इण्डिया) प्रा0लि0, एंजिल जूपिटर, खसरा नं0–520 / 1, अहिंसा खण्ड–द्वितीय, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

(एस0के0 कोहली)
अधिशासी अभियन्ता (मु0)
कृते मुख्य अभियन्ता

E:/Kohli Shab/General Letter.Doc

कार्यालय उप निदेशक,विद्युत सुरक्षा,उ0प्र0शासन,गाजियाबाद रीजन,एफ-6,प्रथम तल,पटेलनगर-।।।,गाजियाबाद।

संख्या- 2271 वि0सु0नि0(गा0बाद रीजन/एच0टी0/निरी0/ दिनांक- 19.7.17

सेवा में,

M/s- AADINATH PROBUILD (INDIA) Pvt.Ltd.
(ANGEL JUPITER)
Khasra No- 520/1,Ahinsa Khand-2,Village-Muddinnpur Kanawani,
Ghazlabad.

विषयः- 1000के0वी0ए0X2नं0(11/0.433के0वी0) ट्रान्सफार्मर्स के उच्च विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण ।

प्रसंग- आपका पत्र दिनांक-शून्य द्वारा प्राप्त ट्रैजरी चलान सं0- R1452 216 दिनांक-18.07.2017,रूपये रु0 21,500.00 राजकीय कोषागार में जमा किया गया ।

प्रिय महोदय,

कृपया आपके परिसर में अधिष्ठापित निम्नलिखित विद्युत अधिष्ठापनों का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक-19.07.2017 को किया गया :

<u>ट्रांसफार्मर्स का विवरणः-</u>

	ट्रान्सफार्मर नं0-1	ट्रान्सफार्मर नं0-2
मेक-	Kirloskar	Kirloskar
नं0-	XLD 600/09	XLD 600/11
क्षमता-	1000 के0वी0ए0	1000 के0वी0ए0
वोल्टेज-	11/0.433के0वी0	11/0.433के0वी0

निरीक्षण के समय उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत सन्तोषजनक पाया गया । अतः उक्त ट्रान्सफार्मर्स को प्रयोग में लाये जानें की अनुमति प्रदान की जाती है । यदि भविष्य में उपरोक्त ट्रान्सफार्मर के विद्युतीय अधिष्ठापन में अनुमोदित ड्राइंग से भिन्न किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी पूर्व अनुमति इस कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाये, अन्यथा भारतीय विद्युत नियम-1956 के सम्बन्धित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जायेगा ।

भवदीय,

(इंजी0 अक्षय कुमार आर्य)
उपनिदेशक
विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

संख्या- वि0सु0नि0(गा0बाद रीजन/एच0टी0/निरी0/ तद्दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0खण्ड- ,गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(इंजी0 अक्षय कुमार आर्य)

संख्या- वि0सु0नि0(गा0बाद रीजन/एच0टी0/निरी0/ तद्दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन, गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद ।

2-निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।

(इंजी0 अक्षय कुमार आर्य)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2 कोषागार प्रपत्र 209 (1)

प्रपत्र संख्या - 43ए(1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार / बैंक का नाम व शाखा .... S.B.I Raj Nagar Ghaziabad.

1) जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम .... AADINath PROBUILD India Private LTD (ANGLE Jupiter)

2) पता .... Khasra No. 520/1 Ahinsa Khand - 2 - Village Mahiuddinpur Kanawanee - Ghaziabad

3) पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4) जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रहा है।) .... Inspection fee for 1000X2 No H.T. Transformer

5) चलान की सकल राशि .... 21500=00

6) चलान की निबल राशि .... 21500=00

7) लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर 0043-... 102-...

8) लेखा शीर्षर्क का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य लेखा-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धन राशि (अंकों में)
0043	00	102	00	00	21500=00

धनराशि (शब्दों में) Twenty One Thousand Five hundred only .... योग 21500=00

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या :........ अंकों में रु० :

दिनांक :........ शब्दों में रु० :

R.145216

GOVT. RECEIVED JUL 2017

Maker

Checker

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार बैंक की मुहर सहित